अधिक्त से महोदय ... कोर्ट में पेश है
पर है! अत: पत्रवली वास्ते ...
दिनांक ... आदेश हो।
18/8/25

18/08/25 आज यह पत्रावली पेश हुई व कुलाय पक्षकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों रिकार्ड का बगौर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि उक्त आराजी का बाई मौके पर एवं बा आदेश विभाजन नहीं हुआ है सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े व कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.03.24 ता फैसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुम्हेर, भरतपुर
मुस्ताव